

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय: डा0 उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर का लंबित 10% पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 673(3) दिनांक 29.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा डा0 उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश द्वारा 90% औपबधिक पेंशन की स्वीकृति दी गयी थी।

2. विभागीय अधिसूचना सं0 304(9) दिनांक 13.03.2026 के द्वारा डा0 उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए 10% पेंशन की राशि तीन वर्षों तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

3. अतः वर्णित स्थिति में डा0 उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का लंबित 10% पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ ही अनुरोध किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना सं0 304(9) दिनांक 13.03.2026 के आलोक में 100% पेंशन से 10% पेंशन की कटौती/समायोजन तीन वर्षों तक करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

ज्ञापांक:

381(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 30/11/26
(विनोद कुमार पाठक)

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, पत्राचार का पता-ग्राम/मोहल्ला-सैदपुर, डाकघर-परसा, थाना-दरियापुर, जिला-सारण, पिन-841219, मो0नं0-8757951101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

Waink 30/11/26
सरकार के उप सचिव